

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांक: F-37/निदे.आयो./ले-आऊट/2011/1224

दिनांक :- 25.11.11

ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 20.10.2011 का कार्यवाही विवरण

आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित ले-आऊट प्लान समिति की बैठक दिनांक 20.10.2011 को सांय 05.00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यो/अधिकारियो ने भाग लिया :-

1. श्री हरजीलाल अटल, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
2. श्री नरेन्द्र कुमार बंसल, उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
3. श्री एम.पी.खत्री, निदेशक (अभियान्त्रिकी), जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
4. श्री पी.आर बेनीवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. सदस्य सचिव

सर्व प्रथम गत बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करते हुए प्रकरणो के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही पर विचार-विमर्श किया गया।

आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले ले-आऊट प्लान मानचित्र का खसरा मानचित्र पर सुपर इम्पोज तरमीम मानचित्र प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जावे। यदि किसी कारणवश खसरा मानचित्र पर तरमीम की कार्यवाही सम्भव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण खसरे के सहखातेदारो से भी सहमति-पत्र प्राप्त किया जावे एवं प्रस्तुत किये जाने वाले ले-आऊट प्लान पर भी उक्त सहखातेदारो के हस्ताक्षर प्राप्त किये जावे।

आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाले प्रकरणो पर समिति द्वारा निर्णय लिये जाने के उपरान्त समिति द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली कार्यवाही से प्रार्थी को पत्र लिखकर अवगत करवाया जावे, ताकि प्रार्थी समिति द्वारा चाही जाने वाली सूचनाओ की यथासमय पूर्ति कर सके।

उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत करवाया गया कि तकनीकी अनुमोदन हेतु प्राप्त होने वाले कई प्रकरणो की समीपीय भूमियो पर पूर्व में अतिरिक्त कलक्टर (भूमि रूपान्तरण), पंचायत इत्यादि संस्थाओ द्वारा 30 फीट चौड़ी सड़को पर पट्टा विलेख जारी कर दिये गये हैं, जिससे उक्त क्षेत्र में वर्तमान में आवेदित भूमियो के ले-आऊट प्लान में 40' व इससे अधिक चौड़ी सड़को का प्रावधान करने में कठिनाई

39

आती हैं। आयुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र लिखे जाने के लिये सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया।

उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि सामान्यतया तकनीकी अनुमोदन हेतु प्राप्त होने वाले ले-आऊट प्लान की एक प्रति ही पत्रावली में उपलब्ध करवाई जाती है एवं वह प्रति 90-वीं शाखा की मूल पत्रावली में लगी रह जाने के कारण आयोजना शाखा में कोई रिकार्ड नहीं रह पाता है, जिससे भविष्य में प्राप्त होने वाले ले-आऊट प्लानों के तकनीकी अनुमोदन में कठिनाई आती है एवं त्रुटि की पूर्ण सम्भावना रहती है। आयुक्त द्वारा सभी उपायुक्तगणों एवं निदेशक (आयोजना) को निर्देशित किया गया कि भविष्य में इस सम्बन्ध में जारी हुए कार्यालय आदेश पीएस आयुक्त/2011/4136, दिनांक 12.04.2011 की आवश्यक रूप से पालना की जावे, जिसमें ले-आऊट प्लान अनुमोदन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। आयुक्त द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि पूर्व में सम्पन्न हुई ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठकों में जितने भी ले-आऊट प्लान अनुमोदित हुए हैं, उनकी एक-एक सत्यापित प्रतिलिपि आयोजना शाखा में रिकार्ड हेतु उपलब्ध करवाई जावेगी।

तत्पश्चात् समिति के समक्ष निम्नलिखित ले-आऊट प्लान प्रस्तुत किये गये एवं समिति द्वारा उन पर विचार-विमर्श कर उनके आगे अंकितानुसार निर्णय लिए गये :-

1. राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 269 की रकबा 35444.26 वर्गमीटर भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ अनुमोदित ले-आऊट प्लान में अनुमोदन।

आवेदक :- सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 269 की रकबा 35444.26 वर्गमीटर भूमि व्यावसायिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में होकर जोधपुर-पाली सड़क के पश्चिम में स्थित है। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया प्रश्नगत भूमि राजस्व रेकार्ड में प्राधिकरण के नाम दर्ज है, अर्थात् भूमि का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण का है। उक्त भूमि का योजना मानचित्र अभियान्त्रिकी शाखा द्वारा दिये गये मापक के आधार पर मानचित्र शाखा द्वारा तैयार किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है तथा स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण निदेशक (आयोजना) द्वारा किया गया है।

[Signature]

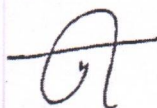
40

समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये तकनीकी परीक्षण के मददेनजर ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त ले-आऊट प्लान में प्रस्तावित भूखण्डों का निष्पादन नीलामी के मध्यम से किये जाने हेतु सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया।

2. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 115 मी, 115/2 मी, 114/2, 114/5, 120, 122/1, 124/1, 124, 126, 125, 125/1, 125/2, 125/4, 125/3, 125/5, 127/3, 126/1, 127/2 की रकबा 158 बीघा 16 बिस्वा तथा भूखण्ड संख्या 97, 98 व 99 एवं राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा नम्बर 211, 212, 210 रकबा 44 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 203.06 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ अनुमोदित ले-आऊट प्लान में संशोधन।
आवेदक :- अधिकृत प्रतिनिधि सहारा इण्डिया कॉमर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड।
प्रकरण संख्या 1542/05

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 115 मी, 115/2 मी, 114/2, 114/5, 120, 122/1, 124/1, 124, 126, 125, 125/1, 125/2, 125/4, 125/3, 125/5, 127/3, 126/1, 127/2 की रकबा 158 बीघा 16 बिस्वा एवं राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा नम्बर 211, 212, 210 रकबा 44 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 203.06 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि का योजना मानचित्र पूर्व में वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर के कार्यालय पत्रांक जेडीजेड:1628:जेपीआर, दिनांक 20.01.2007 को अनुमोदित किया गया है, जिसमें प्रार्थी द्वारा संशोधन चाहा गया है। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि दिनांक 01.03.2007 को आवेदित भूमि की भूमि समर्पण सम्बन्धी कार्यवाही की जाकर दिनांक 17.03.2007 को राजस्व रेकार्ड में भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज कर दी गई है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की स्वीमा का प्रमाणीकरण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। प्रकरण में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-बी के निर्णय, दिनांक 01.03.2007 में, राजस्व (गुप्त-6) के स्पष्टीकरण परिपत्र क्रमांक प.06(54)राज-6/2001-पार्ट/21, दिनांक 19.11.2005 की अनुपालना में अनुमोदित ले-आऊट प्लान में अनुसूचित जाति वर्ग की भूमि के अधिकारों का पर्यवसान एवं भूमि का पुनर्ग्रहण करने के बाद न्यास द्वारा भूमि का नियमितिकरण कर लीज डीड अनुसूचित जाति वर्ग के प्रार्थीगणों की देय होने का उल्लेख किया गया है। संशोधन हेतु प्रस्तुत ले-आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण निदेशक (आयोजना) द्वारा किया गया है।



समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये तकनीकी परीक्षण के मददेनजर ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-बी के निर्णय, दिनांक 01.03.2007 के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग की भूमि को अनुमोदित ले-आऊट प्लान में पृथक रंग से दर्शाया जाना होगा एवं उक्त भूखण्डों की लीज डीड अनुसूचित जाति वर्ग के प्रार्थीगणों को ही देय होगी। उक्त कार्यवाही पूर्ण कर सम्बन्धित उपायुक्त एवं सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण के प्रमाणीकरण के पश्चात् ले-आऊट प्लान जारी किया जावे।

प्रकरण की मूल पत्रावली पूर्व में माथुर आयोग को प्रेषित की गई थी, जो सम्भवतया आयोग द्वारा नगरीय विकास विभाग को भिजवा दी गई हैं। मूल पत्रावली प्राप्त होने के पश्चात् ही पट्टा विलेख जारी किये जावे एवं यदि मूल पत्रावली में माथुर आयोग द्वारा कोई अन्य निर्णय लिया जाता है, तो उक्त समस्त कार्यवाही उक्त निर्णय के अधधीन होगी। पट्टा जारी करने से पूर्व सड़को की सुनिश्चितता करने एवं पार्क, सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले-आऊट प्लान जारी किया जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

3. राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा नम्बर 33 की रकबा 26 बीघा 08 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्रीमती संध्या चौधरी पत्नी श्री सुखराम चौधरी
प्रकरण संख्या :- 695/07

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा नम्बर 33 की रकबा 26 बीघा 08 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि का योजना मानचित्र पूर्व में वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर के कार्यालय पत्रांक जेडीजेड:1628:खारड़ा रणधीर, दिनांक 17.10.2007 को अनुमोदित किया गया हैं, जिसमें प्रार्थी द्वारा संशोधन चाहा गया हैं। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि दिनांक 01.03.2007 को आवेदित भूमि की भूमि समर्पण सम्बन्धी कार्यवाही की जाकर राजस्व रेकार्ड में भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज कर दी गई हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान के सम्बन्ध में निदेशक (आयोजना) से तकनीकी परीक्षण करवाया गया।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि में से रास्ते बाबत मेघवाल एवं भील बस्ती वासियो द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई हैं एवं इस सम्बन्ध में जिला

42

न्यायाधीश, जोधपुर में अपील विचाराधीन हैं। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर बाद के निस्तारण के उपरान्त प्रकरण को निस्तारित करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

4. राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 233/1, 233/2, 233/3 व 238/4 की रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन। आवेदक :- श्रीमती मीरादेवी पत्नि श्री किशनलाल, योगिता पुत्री वासुदेव वगैराह।
प्रकरण संख्या :- 58/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 233/1, 233/2, 233/3 व 238/4 की रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में होकर आंगणवा-खोखरिया सड़क के पश्चिम दिशा में स्थित हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान के सम्बन्ध में निदेशक (आयोजना) से तकनीकी परीक्षण करवाया गया, जिसमें संशोधन करते हुए ले-आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है। उनके द्वारा आंगणवा-खोखरिया सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50 फीट छोड़े जाने हेतु ले-आऊट प्लान में अंकन कर दिया गया है। उक्त योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से अधिक होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियों के लिये भूखण्डों का आरक्षण किया गया है, जिनका निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया। राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी-2010 में प्रावधानों के अनुसार योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से अधिक होने की स्थिति में सुविधा क्षेत्रों एवं पार्क हेतु न्यूनतम 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जानी है, जिसका प्रावधान उक्त ले-आऊट प्लान में नहीं किया गया है। समिति द्वारा उक्तानुसार संशोधन करने के उपरान्त ही ले-आऊट प्लान जारी करने हेतु निदेशक (आयोजना) को निर्देशित किया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त

55

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 28.07.2011 में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया एवं तदोपरान्त प्रकरण आगामी ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

21. राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर 114/1 व 114/2 की रकबा 12 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री के.के.या उर्फ पुखराज व श्रीमती देवी बगौराह
प्रकरण संख्या :- 04/10

उक्त प्रकरण पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18.04.2011 में प्रस्तुत किया गया था।

प्रकरण पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18.04.2011 में रखे जाने पर ले-आऊट प्लान मानचित्र में भूखण्ड संख्या अंकित करने, प्रार्थीगणों के हस्ताक्षर एवं समीपीय राजस्व रास्ते का पटवारी द्वारा सत्यापन की कार्यवाही के उपरान्त प्रकरण आगामी ले-आऊट प्लान समिति की बैठक में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रार्थी द्वारा ले-आऊट प्लान पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं एवं ले-आऊट प्लान में भूखण्ड संख्या भी अंकित कर दी गई हैं, परन्तु समीपीय राजस्व रास्ते का पटवारी द्वारा सत्यापन किया जाना शेष है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये तकनीकी परीक्षण के मध्यनजर ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें अन्तिम रूप से ले-आऊट प्लान पटवारी द्वारा रास्ते के सत्यापन के उपरान्त ही जारी किया जावे। उक्त भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियों के लिये भूखण्डों का आरक्षण नहीं किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की सहमति के उपरान्त ही ले-आऊट प्लान जारी किया जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

22. राजस्व ग्राम डोली के खसरा नम्बर 637/2, 638, 646, 648, 649/1 व 681 की रकबा 67 बीघा 01 बिस्वा भूमि का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

पत्रावली के अवलोकन से समिति द्वारा पाया गया की प्रार्थी की भूमि का तरमीम मानचित्र उपलब्ध नहीं हैं। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया एवं प्रार्थी के प्रतिनिधि को बुलाकर सुनने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कियदि खसरा मानचित्र पर तरमीम की कार्यवाही पूर्ण नहीं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण खसरे के सहखातेदारों से भी सहमति-पत्र प्राप्त किया जावे एवं प्रस्तुत किये जाने वाले ले-आऊट प्लान पर भी उक्त सहखातेदारों के हस्ताक्षर प्राप्त किये जावे। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त प्रकरण आगामी ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

24. राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 391 की रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्रीमती कमला पत्नि रामचन्द्र भाटी
प्रकरण संख्या :- 44/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 391 की रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि का योजना मानचित्र पूर्व में वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर के कार्यालय पत्रांक जेडीजेड:1628:मण्डोर, दिनांक 23.04.2007 को अनुमोदित किया गया हैं, जिसे अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर पटवारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं हैं तथा आवेदक का स्वामित्व वैध हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त हैं।

पत्रावली के अवलोकन से समिति द्वारा पाया गया की प्रार्थी की भूमि का तरमीम मानचित्र उपलब्ध नहीं हैं। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि यदि खसरा मानचित्र पर तरमीम की कार्यवाही पूर्ण नहीं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण खसरे के सहखातेदारों से भी सहमति-पत्र प्राप्त किया जावे एवं प्रस्तुत किये जाने वाले ले-आऊट प्लान पर भी उक्त सहखातेदारों के हस्ताक्षर प्राप्त किये जावे। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त प्रकरण आगामी ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

25. राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा नम्बर 169/1 की रकबा 5 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री मोतीराम पुत्र श्री खुमाराम

58

प्रकरण संख्या :- 464/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा नम्बर 169/1 की रकबा 5 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। उक्त ले-आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण निदेशक (आयोजना) द्वारा किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

पत्रावली के अवलोकन से समिति द्वारा पाया गया की प्रार्थी की भूमि का तरमीम मानचित्र उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी सम्पूर्ण खसरे के किस भाग की भूमि का योजना मानचित्र स्वीकृत करवाना चाहता है एवं शेष भूमि किस प्रयोजन में उपयोग में ली जावेगी, यह स्पष्ट नहीं है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि यदि खसरा मानचित्र पर तरमीम की कार्यवाही पूर्ण नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण खसरे के सहखातेदारों से भी सहमति-पत्र प्राप्त किया जावे एवं प्रस्तुत किये जाने वाले ले-आऊट प्लान पर भी उक्त सहखातेदारों के हस्ताक्षर प्राप्त किये जावे। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त प्रकरण आगामी ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

26. राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा नम्बर 168 की रकबा 10 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री चेलाराम पुत्र श्री हीराराम
प्रकरण :- 463/11

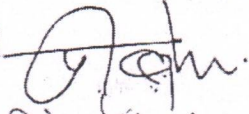
जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा नम्बर 168 की रकबा 10 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। उक्त ले-आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण निदेशक (आयोजना) द्वारा किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

59

पत्रावली के अवलोकन से समिति द्वारा पाया गया की प्रार्थी की भूमि का तरमीम मानचित्र उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी सम्पूर्ण खसरे के किस भाग की भूमि का योजना मानचित्र स्वीकृत करवाना चाहता हैं एवं शेष भूमि किस प्रयोजन में उपयोग में ली जावेगी, यह स्पष्ट खसरा मानचित्र पर तरमीम की कार्यवाही पूर्ण नहीं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण ले-आऊट प्लान पर भी उक्त सहखातेदारों से भी सहमति-पत्र प्राप्त किया जावे एवं प्रस्तुत किये जाने वाले पूर्ण होने के उपरान्त प्रकरण आगामी ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।



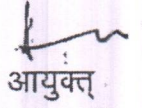
निदेशक (आयोजना)

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।



सचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर। जोधपुर।



आयुक्त

जोधपुर।

(Sd)

उपायुक्त (पूर्व)

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।

(Sd)

उपायुक्त (पश्चिम)

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।



उपायुक्त (उत्तर)

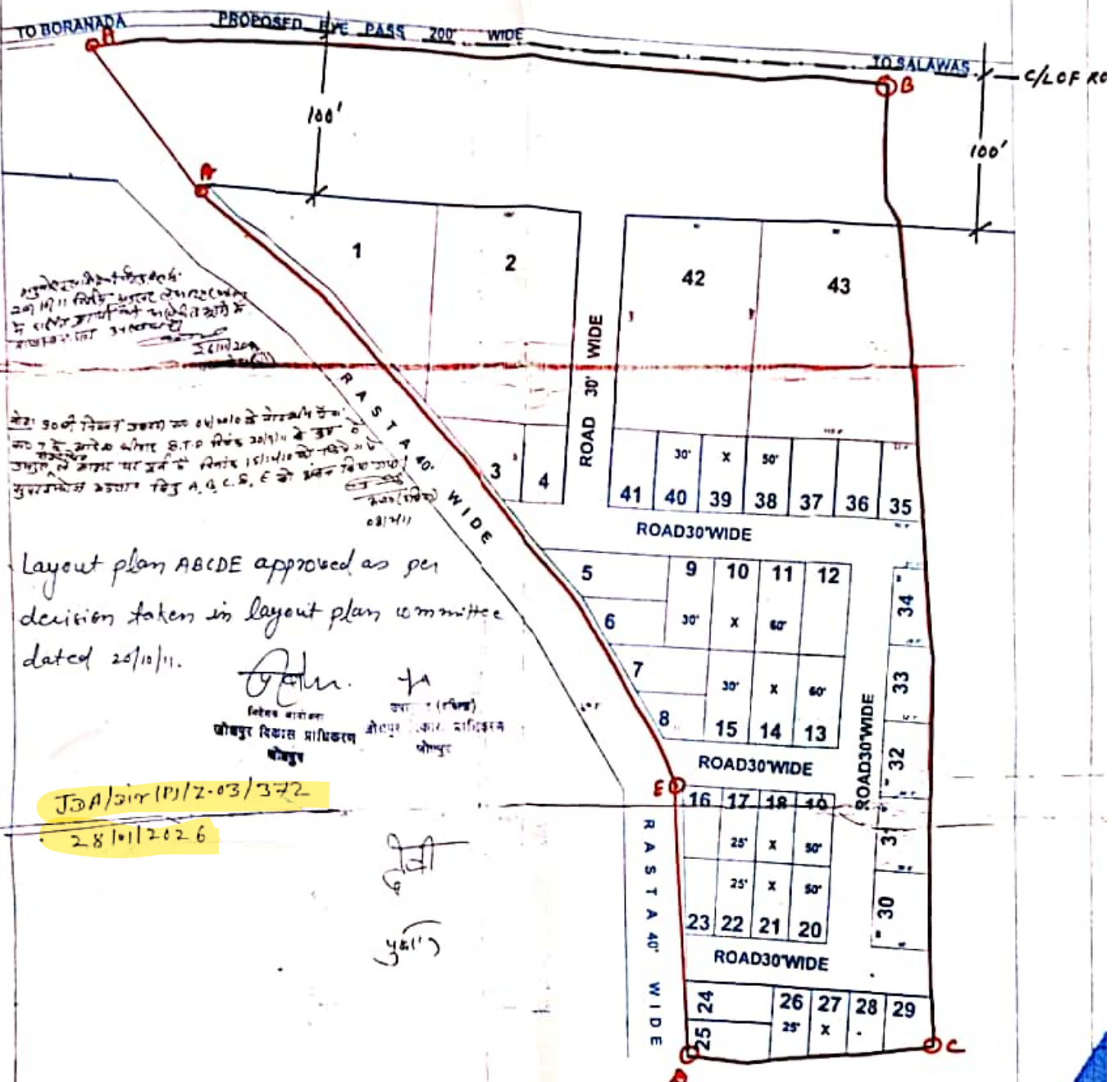
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।

(Sd)

उपायुक्त (दक्षिण)

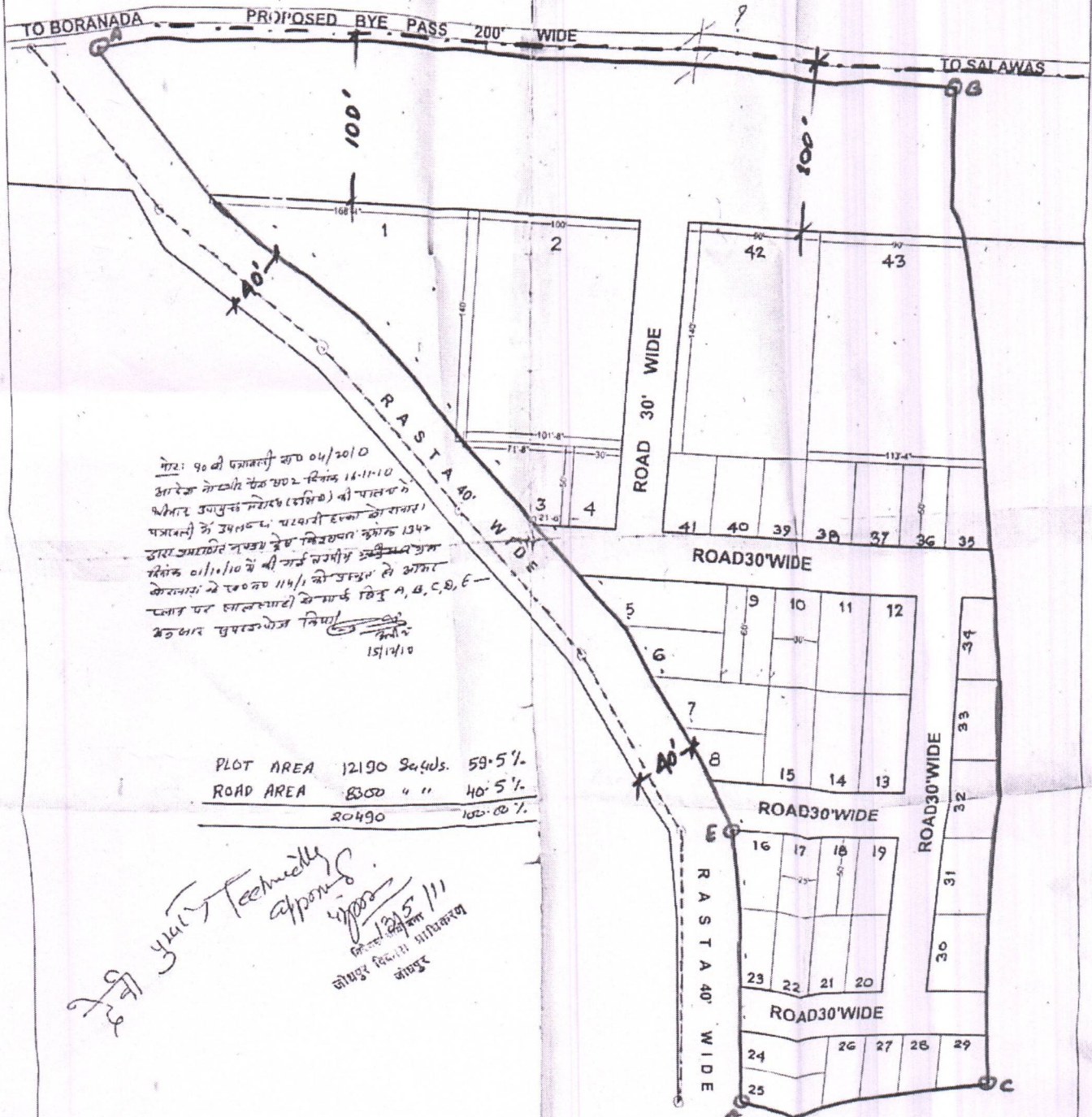
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।

SCALE :- 1" = 50' FEET



PROPOSED RES'DENTIAL SCHEME ON KHASRA NO. 114 ON PROPOSED BYE PASS ROAD VILLAGE BORANADA AT JODHPUR. ||4|2

SCALE" :- 1" = 50' FEET



मोड: 90 की पत्रावली सं. 04/20/10
आदेश नो. 1002 दिनांक 14-11-10
बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू (राजस्थान) की पत्रावली
पत्रावली सं. 34/10/10, पत्रावली सं. 1342
उक्त अधिनियम के अंतर्गत निकास 1342
दिनांक 01/11/10 के अधीन नवीन स्कीम के अंतर्गत
कालास नो. 114/1 को उपलब्ध है और
प्लान पर लातमारी के मार्क बिंदु A, B, C, D, E
के आधार पर स्कीम तैयार की गई है।
15/11/10

PLOT AREA	12190 Sq. Yds.	59.5%
ROAD AREA	8300 "	40.5%
	20490	100.00%

27/11/10
Technically approved
13/11/10
जोड़कर दिनांक 13/11/10
जोड़कर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने रातानाडा, जोधपुर - 342004

email-jdanic-jod-rj@nic.in web side- jodhpurjda.org phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax No 0291-2612086

क्रमांक :- 90क/जोन-3/2026/

दिनांक :-

01 श्रीमती देवी पालीवाल पत्नी स्व. श्री गोपी किशन

02 श्री ककैया उर्फ पुखराज पुत्र श्री गोरखराम,

निवासीगण- जोधपुर।

विषय:- रहन रखे गये भूखण्डों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्राधिकरण द्वारा आपकी खातेदारी भूमि ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 114/1 व 114/2 रकबा 12 बीघा भूमि का 90-क का आदेश दिनांक 27.08.2012 को किया गया। जिसका ले-आउट प्लान प्राधिकरण की ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 20.10.2011 को अनुमोदित किया गया।

उक्त कॉलोनी में आपके द्वारा 12.50 प्रतिशत भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में रहन रखने हेतु एक रहननामा प्रस्तुत किया गया। जो नियमानुसार सही होने के कारण स्वीकृत किया जाकर भूखण्ड संख्या 03, 04, 35, 36, 37, 38, 39, 40 व 41 कुल 09 भूखण्ड का क्षेत्रफल 1515.61 वर्गमीटर को रहन रखा जाता है।

उपायुक्त (जोन 3)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Ranji Bhai Kalbi
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2026.05.12 13:48:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22155903

M e-Sign

